

फर्द अहकाम

रामराज बनाम कपल कर्मा

उपलब्ध अधिकारी जमवारा मंगल

नाम न्यायालय

केस संख्या 56/2020

न न्यायालय

न संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

न संख्या

बादलदास मन्वारी (माता-पिता के अधिकार) को विधिक रूप से नकारा हुआ है। विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है।

रामराज अधिकारी
जमवारा मंगल

1816124

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है। न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण न्यायालय को न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा है।

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
वइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 56/2020

दायर दिनांक 09.05.2024

रामराय

बनाम

कमला वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश

दिनांक 09.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री अरविन्द शर्मा वादीगण अधिवक्ता व श्री रामकरण शर्मा प्रतिवादी सं0 9 व श्री अशोक शर्मा प्रतिवादी सं0 2, 4, 5, 6, 8 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 0.0253 है0, खसरा नम्बर 191 रकबा 5.1344 है0, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.3162 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.4759 है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुरेजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।
डिक्री आज दिनांक 09/05/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जयपुर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
56/2020

तारीख दायर
02/07/2020

तारीख फैसला
18/06/2024

1. रामराय शर्मा पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी कांवरिया की ढाणी,
ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. कमला पुत्री मांगीलाल
2. गल्ला उर्फ मनभरी पुत्री राधेश्याम
3. नाथी देवी पत्नि मांगीलाल
4. बंशीधर पुत्र भौरीलाल
5. भगोती पत्नि राधेश्याम
6. महेश पुत्र राधेश्याम
7. मालती पुत्री मांगीलाल
8. रामप्रहलाद पुत्र मांगीलाल
9. रामस्वरूप पुत्र नारायण
10. रामअवतार पुत्र बद्रीनारायण
11. लाडा उर्फ लडडू पुत्री राधेश्याम
12. श्रवणी पुत्री बद्रीनारायण
13. शांती पुत्री मांगीलाल
14. सुमित्रा पुत्री मांगीलाल
15. सरजू पुत्री बद्रीनारायण
16. सुरजमल पुत्र बद्रीनारायण
17. सीताराम पुत्र बद्रीनारायण
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी कांवरिया की ढाणी, ग्राम नायला तहसील
जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
18. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला
जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री अरविन्द शर्मा :- वकील वादी।

श्री रामकरण शर्मा :- वकील प्रतिवादी सं० 9

श्री अशोक कुमार शर्मा :- वकील प्रतिवादी सं० 2, 4, 5, 6, 8

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर०टी०एक्ट

:- निर्णय :-

वादी की ओर से एड० श्री अरविन्द शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस
कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त
आराजियात खसरा नम्बर 190 रकबा 0.0253 है०, खसरा नम्बर 191 रकबा 5.1344 है०,
खसरा नम्बर 310 रकबा 0.3162 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 5.4759 है० भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार	191 / 4	1.3329	—
योग	किता 1	1.3329	—
बंशीधर पुत्र भौरीलाल हि0 1/3, रामोतार, सीताराम, सूरजमल पि0 बंदीनारायण हि0 1/3, रामप्रहलाद पुत्र मांगीलाल, कमला, मालती, शान्ति, सुमित्रा पुत्रिया मांगीलाल हि0 5/18, भगवती पतिन राधेश्याम, गल्ला उर्फ मनभरी, लड्डू उर्फ लाडा पुत्रिया राधेश्याम, महेश पुत्र राधेश्याम हि0 1/18 जाति हरि0 ब्राहमण सा0देह खातेदार	190 191 / 2 191 / 5 191 / 7 191 / 9 310 / 2	0.0253 1.4200 0.4600 0.0315 0.5300 0.1510	—
योग	किता 6	2.6178	—
रामराय पुत्र नारायण हि0 320/800, बंशीधर पुत्र भौरीलाल हि0 1/5, रामोतार, सूरजमल, सीताराम पि0 बंदीनारायण हि0 1/5, रामप्रहलाद पुत्र मांगीलाल, कमला, मालती, शान्ति, सुमित्रा पुत्रिया बंदीनारायण हि0 1/6, भगवती पतिन राधेश्याम, महेश पुत्र राधेश्याम, गल्ला उर्फ मनभरी, लाडा उर्फ लड्डू पुत्रिया राधेश्याम हि0 1/30 जाति हरि0 ब्राहमण सा0देह	191 / 10 310 / 3	0.0800 0.0142	—
योग	किता 2	0.1301	—
शामलात	191 / 8	0.1301	—
योग	किता 1	0.1301	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ